राजस्थान सरकार
विशेष योग्यजन निदेशालय

जी 3/1 ए, राजमहल होटल के पीछे ,सिविल लाईन, जयपुर
फोन नं.:– 0141–2222267, फेक्स नं.:– 0141–2222249, ई–मेल:– sjesal_dis@yahoo.com

क्रमांक : नि.वि.यो./स्टोर/2017–18 93155 जयपुर, दिनांक: 16-3-18

मैनेजर इंस्टीटयूशनल सेल्स,
टी.वी.एस. मोटर कम्पनी लिमिटेड,
प्लॉट नं. 17–18, द्वितीय तल, नेशनल मोटर्स बिल्डिंग,
झोटवाड़ा इन्डेसट्रियल एरिया, जयपुर
ईमेल– tajinderpal.singh@tvsmotor.com

विषयः T.V.S. Jupiter in Multiple Colours with Side Attachment सप्लाई करने बाबत्।
संदर्भः एल.ओ.ए. नम्बर 22520 दिनांक 09.03.2018 एवं आपकी निविदा दिनांक 27.02.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के अनुसरण में इस विभाग को 1000 मोटराइज्ड ट्राई साईकिल विशेष योग्यजनों को वितरण की जानी है प्रथमतः निम्नानुसार T.V.S. Jupiter in Multiple Colours with Side Attachment की सप्लाई निविदा दस्तावेजों एवं शर्तो के अनुसार करने की व्यवस्था करें :–

1. उपरोक्त मॉडल के 556 वाहन निविदा की अनुमोदित दर राशि रूपये 53490/– सभी करों एवं रजिस्ट्रेशन फीस, इंश्योरेन्स, ग्रीन कार्ड/स्मार्ट कार्ड अन्य व्यय यदि कोई हो सहित प्रति नग (शब्दों में तिरेपन हजार चार सौ नब्बे मात्र) सहित प्रति नग कार्यादेश की तिथि से 30 दिवस (अतिशीघ्र जितना संभव हो सके) में उपलब्ध करवाने होगे।
2. उक्त वाहन संलग्न की गई सूची के अनुसार राज्य के सभी जिला कार्यालयों सान्याअवि में सप्लाई करने होगें, जिला अधिकारियों का पूर्ण विवरण सप्लाई किये जाने वाले वाहन की संख्या की सूची संलग्न है।
3. आपूर्ति किये जाने वाले वाहन का मॉडल निविदा में प्रस्तुत तकनीकी विशेषता वाला T.V.S. Jupiter in with Side Attachment का होगा एवं इंजन की क्षमता 110 C.C. (109.7) होगी।
4. वाहन का अटैचमेन्ट A.R.A.I. द्वारा अनुमोदित होगा।
5. वाहन विद साईड अटैचममेन्ट की 2 वर्ष की वॉरन्टी होगी तथा वाहन यूजरफ्रेण्डली होगा।
6. प्रत्येक वाहन पर "राजस्थान सरकार द्वारा वितरित" लिखा हुआ मोनोग्राम लगा हुआ होना चाहिये।
7. प्रत्येक वाहन में 1 लीटर पैट्रोल भरकर देना होगा।
8. क्रय आदेश, निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र, आपकी निविदा दिनांक 27.02.2018, L.O.A., अनुबंध पत्र में वर्णित सभी टर्म्स एण्ड कडीशन के अधीन होगा।
9. वाहन सूपूर्दगी की रिपोर्ट प्रपत्र 14 में देनी होगी।
10. निविदा शर्तो के अनुसार रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेन्स, ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड तथा लाभान्वित के नाम वाहन पंजीकृत कराने संबंधी सभी कार्यवाही कम्पनी द्वारा की जानी है, जिसका भुगत्तान कम्पनी द्वारा किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, दो फोटो, आधार कार्ड एवं ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति उपलब्ध करवाई जायेगी।
11. कम्पनी द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही Free Services उपलब्ध करानी होगी।
12. निविदा शर्तो के अनुसार प्रति स्कूटर के साथ Fitness And Testing Certificate भी उपलब्ध कराना होगा।

वाहन एवं अटैचमेन्ट निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप प्राप्त होने की प्राप्ति रसीद जिलाधिकारी से प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान का दावा स्वीकार किया जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

16/3/18
(अनुपमा जोरवाल)
निदेशक